उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्याः 38681

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू.का.अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : श्री योगेश भटट, मा० राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

अपीलकर्ताः सुश्री शिल्पी नेगी, एडवोकेट, 1402/सी, गौड़ ग्रीन बिस्टा, न्याय खण्ड–1, इन्दिरापुरम गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश–201014.

बनाम

प्रत्युत्तरदाता :

1. लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना पुर्नवास खण्ड नई टिहरी, जिला टिहरी गढवाल।

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य (पुर्नवास) मण्डल द्वितीय तल, केदार भवन, टी0एच0डी0सी0 लि0 परिसर, केदारपुरम देहरादून।

प्रतिलिपिः 1. जिलाधिकारी कार्यालय जिला टिहरी।

2. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून।

आदेशः

AG

आज सुनवाई में अपीलार्थी अनुपस्थित हैं। लोक सूचना अधिकारी / श्री धीरेन्द्र सिंह नेगी, अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना पुर्नवास खण्ड नई टिहरी, जिला टिहरी गढवाल उपस्थित हैं।

2. आयोग द्वारा गत दिनांक 06.02.2024 को पारित आदेश का प्रस्तर 4 लगायत 6 में निम्नवत आदेश पारित किये गये:–

प्रस्तर–4. सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2023 को जारी कारण बताओं नोटिस वापस लिए जाने हेतु पत्र प्रेषित पंजिका की छाया प्रति प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 16.11.2022 को पत्रांक 685 के माध्यम से साधारण डाक द्वारा सूचना प्रेषित की गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण अपीलार्थी के प्रतिनिधि को उपलब्ध कराया गया। प्रस्तुत साक्ष्य पर अपीलार्थी के प्रतिनिधि द्वारा संदेह व्यक्त किया गया।

प्रस्तर–5 प्रस्तुत साक्ष्य की लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि मूल पंजिका प्रस्तुत नहीं कर पाए। पत्र प्रेषित पंजिका की प्रस्तुत छायाप्रति में कांट छांट से प्रतीत हो रहा है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा कूटरचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति में दर्ज विवरण पंजिका बाद में दर्ज किया प्रतीत हो रहा है। **लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कूटरचित साक्ष्य प्रस्तुत कर आयोग को गुमराह करने का प्रयास किया है जो अत्यंत गंभीर है। लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना पुर्नवास खण्ड नई टिहरी,**

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

जिला टिहरी गढवाल श्री धीरेंद्र सिंह नेगी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) एवं 20(2) के अंतर्गत कार्यवाही से पूर्व एक अवसर देते हुए आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

प्रस्तर–6 लोक सूचना अधिकारी आगामी सुनवाई पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका तथा मूल पत्र प्रेषित पंजिका की साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे। व्यक्तिगत उपस्थिति न होने की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

3. गत दिनांक 06.02.2024 को पारित आदेश के प्रस्तर–5 एवं 6 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी/श्री डी0एस0 नेगी, अवस्थापना पुनर्वास खण्ड, नई टिहरी कार्यालय की डिस्पैच पंजिका एवं स्पष्टीकरण के साथ सुनवाई में उपस्थित हुए। डिस्पैच पंजिका के अवलोकन से स्पष्ट है अपीलार्थी को साधारण डाक से सूचना प्रेषित किए जाने का विवरण आयोग के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बाद में दर्ज किया गया है। पंजिका के अवलोकन से कूटरचित साक्ष्य प्रस्तुत कर आयोग को गुमराह किये जाने की पुष्टि होती है।

4. लोक सूचना अधिकारी का लिखित स्पष्टीकरण पत्र संख्या 225 दिनांक 28.02.2024 आयोग के आदेश दिनांक 06.02.2024 के क्रम में संतोषजनक नहीं है। सुनवाई के दौरान डिस्पैच पंजिका में की गयी कूटरचना पर लोक सूचना अधिकारी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये। स्पष्ट है कि प्रकरण पर

AG

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

योजनाबद्ध तरीके से अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ कर आयोग के समक्ष कूटरचित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए है। **श्री धीरेन्द्र सिंह नेगी/ लोक सूचना अधिकारी, अवस्थापना पुनर्वास खण्ड नई टिहरी** को दिनाँक 06.02.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाते हुए आयोग के समक्ष कूटरचित साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा आयोग को गुमराह किये जाने की पुष्टि करते हुए अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत रूपये 15,000/– (पन्द्रह हज़ार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी को धारा 20(2) के अंतर्गत प्रेषित नोटिस इस चेतावनी के साथ वापस लिया जाता है कि भविष्य में साक्ष्यों की कूटरचना किये जाने अथवा आयोग को गुमराह किये जाने पर अधिनियम के अनुसार कार्यवाही संस्तुत की जाएगी।

5. श्री धीरेन्द्र सिंह नेगी/ लोक सूचना अधिकारी, अवस्थापना पुनर्वास खण्ड नई टिहरी को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11 (क) व (ङ) के अनुसार आयोग के आदेश प्राप्ति के 03 माह की अवधि समाप्त होने पर दो समान किश्तों में ई–चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करेंगे। उल्लेखित धनराशि **https://ifms.uk.gov.in/e-chalan/elogin.aspx** पर **Quick Pay** के माध्यम से खाता शीर्ष (0070) **other Administration services** के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष "0070601180100 **Under Right to Information Act 2005" Services** में भी जमा की जा सकती है।

उक्त राशि राजकोष में जमा न कराये जाने पर जिलाधिकारी कार्यालय जिला टिहरी उक्त राशि की कटौती श्री धीरेन्द्र सिंह नेगी/ लोक सूचना अधिकारी, अवस्थापना पुनर्वास खण्ड नई

टिहरी के वेतन/देयकों से कटौती कर राजकोष में जमा करायेंगे तथा कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराऐंगे।

6. इस आदेश की प्रति सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के संज्ञानार्थ प्रेषित की जाए।

7. अपीलार्थी को प्रश्नगत प्रकरण में जो सूचना चाहिए थी वह आयोग के निर्देश पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है, प्रश्नगत अपील में अन्य कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं है अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील का उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है।

आदेश की एक प्रति उभय पक्षों को प्रेषित की जाए।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(योगेश भट्ट)

दिनांक 06.03.2024 **राज्य सूचना आयुक्त**

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

AG